राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ड)( )का.भा./डीएलबी/19/11293 दिनांकः 16/X/19

आदेश

श्रीमती कंचन सोलंकी, अध्यक्ष, नगरपालिका, शिवगंज को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(क)( )जांच/डीएलबी/19/2828 दिनांक 15/X/19 द्वारा अध्यक्ष के पद से निलम्बित किया गया है। नगरपालिका शिवगंज में अध्यक्ष का पद अन्य पिछडा वर्ग महिला श्रेणी के लिए आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार श्रीमती पुष्पा देवी, सदस्य, वार्ड नं. 03 नगरपालिका शिवगंज को अध्यक्ष के पद का कार्यभार 60 दिवस से अनधिक की कालावधि या अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए सौपा जाता है।

(डा.प्रवीण कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(ड)( )का.भा./डीएलबी/19/11294-11305 दिनांकः 16/X/19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
5. जिला कलक्टर, सिरोही एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवंगज को आम चुनाव में निर्वाचित सदस्य को चार्ज दिलाए जाने हेतु ।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
7. उपखण्ड अधिकारी, सिरोही।
8. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, शिवगंज।
10. श्रीमती पुष्पा देवी, सदस्य, वार्ड नं. 03 नगरपालिका शिवगंज।
11. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

1887

D:\DLB\Arun ji JLO\Order.doc

Scanned by CamScanner